राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य/2020/7194 भोपाल, दिनांक 01/06/2020

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

.....

मध्यप्रदेश

विषयः–एन.बी.एस.यू. में कार्यरत मानव संसाधन के कार्य–दायित्वों के संबंध में दिशा–निर्देश (वर्ष 2020–21)।

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु, शिशु मृत्यु एवं बाल मृत्यु में कमी लाये जाने के उद्देश्य से चिन्हित सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एन.बी.एस.यू.) संचालित की जा रही हैं। इनके सुचारु संचालन हेतु एन.बी.एस.यू. में कार्यरत/पदस्थ स्टाफ के कार्य दायित्व निम्नानुसार रहेंगे –

शिशु रोग चिकित्सक / चिकित्सा अधिकारी –

एन.बी.एस.यू. के प्रभावी संचालन हेतु राज्य स्तर से प्रदायित संविदा चिकित्सक द्वारा प्रातः 9:00 से सायं 4:00 बजे तक एन.बी.एस.यू. में अपनी सेवायें प्रदान करेंगे।

ऐसी संस्थायें जहाँ पर एन.बी.एस.यू. हेतु पृथक के चिकित्सक पदस्थ नहीं किये गये हैं, उन संस्थाओं में संस्था में कार्यरत चिकित्सक से एन.बी.एस.यू. का कार्य संपादित कराया जाये।

1. **सिज़ेरियन ऑपरेशन में उपस्थिति जहाँ सिज़ेरियन ऑपरेशन किये जा रहे हों** :– एन.बी.एस.यू. चिकित्सक जटिल प्रसव/सिज़ेरियन ऑपरेशन के समस्त प्रकरणों में अनिवार्य रुप से उपस्थित रहकर नवजात शिशुओं का प्रबंधन करें एवं आवश्यकता होने पर एफ.बी.एन.सी. प्रोटोकॉल का पालन करते हुये भर्ती करें। आवश्यकता पड़ने पर नवजात शिशु को एस.एन.सी.यू. में रेफर करें।
   (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा सिविल अस्पताल में पदस्थ अन्य शिशु रोग विशेषज्ञ/चिकित्सक/चिकत्सा अधिकारी द्वारा भी यह कार्य संपादित कराया जा सकता है)
2. **पी.एन.सी. राउण्ड्स** :– एन.बी.एस.यू. में पदस्थ चिकित्सक पोस्टनेटल वार्ड में भर्ती समस्त नवजात शिशुओं का परीक्षण कर केसशीट्स में **आवश्यक रूप** से नोट्स डाले। केस शीट्स में नोट्स न पाए जाने की स्थिति में यह माना जायेगा कि चिकित्सक द्वारा पी.एन.सी. वार्ड का राउंड नहीं लिया जा रहा है।
3. **एन.बी.एस.यू. में एफ.बी.एन.सी. एवं एफ–आई.एम.एन.सी.आई. प्रोटोकॉल का पालन** :– इकाई में भर्ती शिशुओं का उपचार एफ.बी.एन.सी. प्रोटोकॉल अनुसार किया जाये।
4. **एन.बी.एस.यू. में भर्ती शिशुओं तथा एफ.–आई.एम.एन.सी.आई. का रिकार्ड** :– नवजात शिशुओं की केसशीट्स में रिकार्ड का संधारण नियमित रुप से किया जाये तथा सभी प्रविष्टियाँ अनिवार्य रुप से दर्ज की जायें। चिकित्सक अपनी ड्यूटी में नये भर्ती नवजात शिशुओं की प्रविष्टियों के लिये उत्तरदायी होंगे।
5. **एन.बी.एस.यू. में औषधि की आवश्यकता का आंकलन** :– एन.बी.एस.यू. इंचार्ज चिकित्सक, एस.एन.सी.यू. में उपयोग होने वाली औषधि/सामग्री इत्यादि की आवश्यकता का आंकलन कर 3 माह का इन्डेन्ट तैयार करें तथा स्टोर में बफर स्टॉक की उपलब्धि सुनिश्चित करें। खपत के आधार पर मासिक इन्डेन्ट द्वारा सामग्री प्राप्त करें।
6. **पालकों से संवादः**– एन.बी.एस.यू. चिकित्सक प्रतिदिन इकाई में भर्ती नवजात शिशु के परिजनों से संवाद कर शिशु की अवस्था के बारे में जानकारी दें तथा नवजात शिशु देखभाल से संबंधित परामर्श दें। पालकों से संवाद का समय निश्चित करें।

7. एन.बी.एस.यू. में भर्ती समस्त शिशुओं को निःशुल्क उपचार, जाँच, औषधि, तथा परिवहन प्रदाय किया जाये।एनबीएसयू से छुट्टी किये गए शिशुओं के परिजनों को नवजात की देखभाल हेतु उचित सलाह देना, तथा समुदाय में किये जाने वाले फॉलो–अप की जानकारी देना।
8. एन.बी.एस.यू. से छुट्टी किये गए शिशुओं की सूची खण्ड चिकित्सा अधिकारी, आर.बी.एस.के. चिकित्सक एवं बी.सी.एम. को उपलब्ध करवाना।
9. नवजात शिशु में होने वाले समस्त खतरों के लक्षणों की पहचान के सम्बन्ध में जानकारी।
10. शिशु के प्रारंभिक विकास, समय के अनुसार वृद्धि एवं विकासात्मक (शारिरिक एवं मानसिक) के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना।
11. **आर.बी.एस.के. से समन्वय** :– एन.बी.एस.यू. चिकित्सक द्वारा संस्था में जन्में, ओ.पी.डी. एवं फॉलोअप जाँच के लिये आये समस्त शिशुओं में जन्मजात विकृति की पहचान हेतु स्क्रीनिंग की जाये। विकृति पाये जाने पर जिला आर.बी.एस.के. समन्वयक/दल को जानकारी प्रेषित की जाये। ओ.पी.डी. में समस्त नवजात शिशुओं की 4–Ds की स्क्रीनिंग करें तथा नवजात शिशुओं को DEIC में पंजीकरण हेतु संदर्भित करें। साथ ही आर.बी. एस.के. मोबाईल हेल्थ टीम द्वारा सामुदायिक स्तर पर रेफर किये गये समस्त बच्चों का परीक्षण कर आवश्यक उपचार प्रदान करेंगे।
12. **Perinatal and Child Death Review** :– प्रति माह खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मेटरनिटी इंचार्ज चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स, एन.बी.एस.यू. चिकित्सक तथा एन.बी.एस.यू. प्रभारी स्टाफ नर्स की उपस्थिति में अनिवार्यतः प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को Perinatal and Child Death Review का आयोजन करें। इन्बॉर्न शिशु में Birth Asphyxia, Sepsis, Preterm with RDS एवं प्रसव पूर्व कोर्टिकोस्टेरॉयड उपयोग की समीक्षा कर संस्थागत सेवा प्रदायगी में विलंब का कारण ज्ञात कर स्टॉफ को बेहतर कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करें। प्रकरण से संबंधित केस रिकॉर्ड रिव्यू करें तथा सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता सुधारने हेतु कार्ययोजना बनायें। वर्तमान कमियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये ठोस सुधारात्मक कार्यवाही की जाये तथा बैठक का कार्यवाही विवरण एवं कार्ययोजना <u>प्रतिमाह 05 तारीख</u> तक मासिक रिपोर्ट के साथ राज्य स्तर पर प्रेषित किये जायें।
13. **Preterm Labour (34 सप्ताह से पूर्व) प्रकरणों में Injection Dexamethasone का उपयोग** :– एन.बी.एस. यू. चिकित्सक अपनी ड्यूटी में Preterm Labour (34 सप्ताह से पूर्व) प्रकरणों में Injection Dexamethasone का उपयोग प्रसव कक्ष में सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रयास करें। एन.बी.एस.यू. चिकित्सक <u>प्रतिदिन</u> प्रसव कक्ष में Injection Dexamethasone के उपयोग के बारे में फीडबैक लें तथा आवश्यकता अनुसार प्रसव कक्ष के सेवा प्रदायकर्ताओं को प्रोटोकॉल में उन्मुखीकृत करें।
14. **संक्रमण से बचाव** :– संक्रमण से बचाव हेतु प्रत्येक एन.बी.एस.यू. चिकित्सक द्वारा इकाई में एसेप्टिक प्रोटोकॉल का पालन किया जाये। चिकित्सक हाथ धोने के उपरांत गाउन, केप, मास्क पहनकर इकाई में प्रवेश करें। घड़ी, अंगूठी, ब्रेस्लेट, कंगन, धागे इत्यादि पहनकर इकाई में प्रवेश न करें।
15. **नवजात शिशुओं की देखभाल** :– एन.बी.एस.यू. चिकित्सक अपने शिफ्ट में नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल एवं नेपी बदलने का कार्य ऑन ड्यूटी स्टाफ नर्सेस के माध्यम से सुनिश्चित करें। सफाई कर्मचारी द्वारा नेपी बदलना निषिद्ध है।
16. इकाई में भर्ती कम वज़न के शिशुओं को के.एम.सी. कराई जाये एवं शिशु के परिजनों को कंगारू विधि के प्रयोग के बारे में जानकारी दें तथा के.एम.सी. का रिकॉर्ड संधारण करें।
17. इकाई में पदस्थ समस्त स्टाफ नर्सों/ए.एन.एम. का मासिक ड्यूटी रोस्टर बनाकर राज्य स्तर से दिए गए निर्देशानुसार प्रत्येक शिफ्ट में उनसे कार्य कराया जाना सुनिश्चित करना।
18. इकाई में पदस्थ समस्त स्टाफ का मासिक ड्यूटी रोस्टर तैयार करना।

स्टाफ नर्स / ए.एन.एम.–

एन.बी.एस.यू. के प्रभावी संचालन हेतु 2 महिला स्टाफ नर्स एवं 2 ए.एन.एम. प्रति इकाई के मान से प्रावधानित की गई हैं।

एन.बी.एस.यू. प्रभारी स्टाफ नर्स निम्न कार्य संपादित करेंगी –

1. एन.बी.एस.यू. में औषधि एवं अन्य आवश्यक सामग्री के स्टॉक की गणना, इन्डेन्ट तथा उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. संस्था से एस.एन.सी.यू. में रेफर किये गये नवजात शिशुओं का रिकॉर्ड संधारण करना।
3. एन.बी.एस.यू. से छुट्टी किये गए शिशुओं की सूचि खण्ड चिकित्सा अधिकारी आर.बी.एस.के. चिकित्सक एवं बी.सी.एम. को उपलब्ध करवाना।
4. उपकरणों की प्रोटोकॉल अनुसार सफाई करवाना सुनिश्चित करना।
5. इकाई में Infection Prevention Practices का क्रियान्वयन।
6. इकाई में पदस्थ समस्त स्टाफ नर्सो/ए.एन.एम. का मासिक ड्यूटी रोस्टर बनाकर राज्य स्तर से दिए गए निर्देशानुसार प्रत्येक शिफ्ट में उनसे कार्य कराया जाना सुनिश्चित करना।
7. इकाई में पदस्थ समस्त स्टाफ का मासिक ड्यूटी रोस्टर तैयार करना।
8. एन.बी.एस.यू. की समस्त रजिस्टर का सत्यापन एवं रिकॉर्ड संधारण।
9. एन.बी.एस.यू. के स्टोर की रिकार्ड कीपिंग।
10. सफाई कर्मचारी का सुपरविज़न

एन.बी.एस.यू. में पदस्थ ऑन ड्यूटी स्टाफ नर्स/ए.एन.एम. के कार्य दायित्व

1. एफ.बी.एन.सी. प्रोटोकॉल्स अनुसार चिकित्सक के मार्गदर्शन में भर्ती शिशुओं का प्रबंधन एसेप्टिक प्रोटोकॉल का पालन करते हुये सुनिश्चित करें।
2. केसशीट्स में नर्सेस हेतु निर्धारित मॉनिटरिंग शीट्स में प्रत्येक दो घंटे में मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करेंगी। साथ ही स्टाफ नर्स ऑर्डरशीट में प्रविष्टियाँ दर्ज करें।
3. एन.बी.एस.यू. स्टाफ नर्स प्रतिदिन इकाई में भर्ती नवजात शिशु के परिजनों से संवाद कर नवजात शिशु देखभाल से संबंधित परामर्श दें। डिस्चार्ज के समय समुदाय में फॉलोअप के महत्व की जानकारी भी परिजनों को दी जाये। कंगारू मदर केयर, छः माह तक सिर्फ स्तनपान, टीकाकरण, साबुन एवं पानी से हाथ धोना, बीमारी के लक्षण पहचानना से संबंधित परामर्श आदि प्रतिदिन दिया जाये।
4. एन.बी.एस.यू. की साफ–सफाई, फ्यूमिगेशन, उपकरणों को संक्रमणरहित करना इत्यादि कार्यवाही को अधीनस्थ सफाई कर्मचारी के माध्यम से सुनिश्चित कर चैक लिस्ट में प्रविष्टि करें (**चैकलिस्ट का प्रारूप संलग्न**)।
5. भर्ती नवजात शिशु की आवश्यक नवजात देखभाल के साथ नॅपी बदलने का कार्य किया जाये। सफाई कर्मचारी द्वारा नॅपी न बदलनवायें।
6. टॉर्च, लेरिन्गोस्कोप (ब्लेड बिना बल्ब के) थर्मामीटर, टेप मेजर, स्टेथेस्कोप, मॉनिटर प्रोब, 70 प्रतिशत आइसोप्रोफाइल अल्कोहल से प्रतिदिन स्वयं साफ करेंगी तथा प्रत्येक शिफ्ट में हैण्ड ओवर में प्राप्त करेंगी।
7. रेडियेन्ट वार्मर, फोटोथेरेपी मशीन, गीले कपड़े से/यदि ब्लड लगा हो तो 2 प्रतिशत ग्यूट्रालीहाइड से प्रतिदिन स्वयं साफ करेंगी। साथ ही किसी भी उपकरण के अक्रियाशील होने की स्थिति में प्रभारी को सूचित करना सुनिश्चित करेंगी।
   (नवजात शिशु को उपचार प्रदाय किये जाते समय ध्यान रखा जाए कि स्टाफ नर्स द्वारा नवजात शिशु की देखभाल पूर्ण सावधानी के साथ व्यवस्थित रूप से की जाए)

मासिक रिपोर्ट:–

प्रभारी स्टाफ नर्स द्वारा निम्नानुसार मासिक रिपोर्ट प्रतिमाह 05 तारीख तक राज्य स्तर पर प्रेषित की जाये –

1. एन.बी.एस.यू. की मासिक रिपोर्ट एवं राज्य स्तर से भेजे गए लिंक में जानकारी अपलोड करना सुनिश्चित करें।
2. मासिक व्यय पत्रक
3. एन.बी.एस.यू. संचालन समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण
4. पेरीनेटल एवं बाल मृत्यु समीक्षा का कार्यवाही विवरण
5. एन.बी.एस.यू. स्टाफ उपस्थिति पत्रक

सफाई कर्मचारी –

1. सफाई कर्मचारी एन.बी.एस.यू. की सफाई, उपकरणों की साफ–सफाई, गाऊन की धुलाई तथा ऑटोक्लेव करना इत्यादि कार्य करेंगे।
2. ड्यूटी पर उपस्थित आया भर्ती नवजात शिशु की माता को साबुन एवं पानी से हाथ धोना तथा गाउन पहनकर इकाई में प्रवेश करना सुनिश्चित करेंगी।
3. एन.बी.एस.यू. में भर्ती शिशुओं की माँ को स्टाफ नर्स के निर्देशानुसार अन्दर जाने दें, अन्य किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के इकाई में प्रवेश नहीं दें। इकाई में प्रवेश करने वालों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करें।

क्र.	सामान	कैसे साफ करना है	समय	उत्तरदायित्व
1.	ऑक्सीजन हुड, फीडिंग के बर्तन, एअर फिल्टर	साबुन और पानी से	प्रतिदिन	सफाई कर्मचारी
2.	वार्मर, वज़न मशीन, फोटोथेरेपी, पल्स ऑक्सीमीटर	2 प्रतिशत बेसिलॉइसीड/2 प्रतिशत ग्यूट्रालीहाइड से	प्रतिदिन	सफाई कर्मचारी
3.	रिससिटीटेशन बेग, रबर ट्यूबिंग, प्लास्टिक ट्यूब, ऑक्सीजन ट्यूबिंग	सभी भाग अलग अलग करके साबुन के पानी से साफ करने के पश्चात 2 प्रतिशत ग्यूट्रालीहाइड में 4–6 घंटे अथवा 20 मिनिट तक विसंक्रमित करें	प्रत्येक उपयोग के बाद	सफाई कर्मचारी
4.	गाउन, बेडशीट इत्यादि	वॉशिंग मशीन में साबुन एवं पानी से धोयें। धूप में सुखाकर प्रेस करें एवं ऑटोक्लेव करें। प्रत्येक ऑटोक्लेव ड्रम पर दिनांक एवं वस्तु के अनुसार नामांकन करें।	प्रत्येक उपयोग के बाद	सफाई कर्मचारी
5.	ग्लास आर्टीकल, स्टील स्वाब, कंटेनर, चिटिल फॉरसेप	साबुन के पानी से धोयें। सूखने के बाद साफ कपड़े में लपेटकर ड्रम में रख कर ऑटोक्लेव करें। प्रत्येक ऑटोक्लेव ड्रम पर दिनांक एवं वस्तु के अनुसार नामांकन करें	प्रतिदिन	सफाई कर्मचारी
6.	दूध के कंटेनर, कटोरियाँ, पलड़ी, चम्मच इत्यादि	साबुन एवं पानी से साफ करके 20 मिनिट तक उबालें।	उपयोग के बाद	सफाई कर्मचारी
7.	खिड़कियां एवं ग्लास पार्टीशन	साबुन एवं पानी से	दिन में दो बार– मॉर्निंग एवं इवनिंग शिफ्ट में	सफाई कर्मचारी
8.	दीवारें	**Three bucket cleaning system** Bucket-1: Mild detergent and water Bucket-2: Plain water Bucket-3: Disinfectant (5% Lysol/3% Phenyl) दीवार की सफाई हेतु उपयोग किये जाने वाले मॉप को गंदा होने पर साबुन के पानी वाली बाल्टी में मॉप को धोयें, फिर साफ पानी की बाल्टी में धोयें, तत्पश्चात विसंक्रामक पदार्थ की बाल्टी में धोयें। अतिरिक्त पानी निकालकर दीवार को ऊपर से नीचे की ओर एक दिशा में साफ करें।	दिन में एक बार इवनिंग शिफ्ट में	सफाई कर्मचारी
9.	पंखें	पंखे के स्विच को बंद करने के बाद हल्के गीले कपड़े से साफ करें।	प्रति सप्ताह	सफाई कर्मचारी
10.	ए.सी. जाली	स्विच को बंद करने के बाद जाली को बाहर निकालकर साबुन के पानी से साफ करें। सूखने के पश्चात पुनः लगायें	प्रति सप्ताह	सफाई कर्मचारी
11.	बाल्टी	साबुन के पानी से	प्रतिदिन सुबह के शिफ्ट में	सफाई कर्मचारी

क्र.	सामान	कैसे साफ करना है	समय	उत्तरदायित्व
12.	सिंक	साबुन के पानी से	प्रतिदिन सुबह के शिफ्ट में, और आवश्यकता के अनुसार	सफाई कर्मचारी
13.	फर्श साफ करना (Moping of the units)	Disinfect the mops using 5% Lysol or 3% Phenyl **Three bucket cleaning system** Bucket-1: Mild detergent and water Bucket-2: Plain water Bucket-3: Disinfectant (5% Lysol/3% Phenyl) दीवार की सफाई हेतु उपयोग किये जाने वाले मॉप को गंदा होने पर साबुन के पानी वाली बाल्टी में मॉप को धोयें, फिर साफ पानी की बाल्टी में धोयें, तत्पश्चात विसंक्रामक पदार्थ की बाल्टी में धोयें। अतिरिक्त पानी निकालकर इकाई के फर्श को अंदर से बाहर की तरफ एक दिशा में साफ करें।	प्रत्येक शिफ्ट में दो बार	सफाई कर्मचारी
14.	डस्टबिन	साबुन के पानी से साफ करें, सूखने के बाद संबंधित रंग की पॉलीथिन लगायें	मॉर्निंग एवं इवनिंग शिफ्ट में	सफाई कर्मचारी
15.	स्लीपर्स	साबुन के पानी से साफ करें	मॉर्निंग एवं इवनिंग शिफ्ट में	सफाई कर्मचारी

आपको निर्देशित किया जाता कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन कर नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एन.बी.एस.यू.) में गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करें।

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./आर.सी.एच/शिशु स्वास्थ्य/2020/7195 भोपाल, दिनांक: 01/06/2020

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
7. संबंधित जिला टीकाकरण अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. संबंधित विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. संभागीय आर.एम.एन.सी.एच.ए. समन्वयक, संभाग–भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
10. संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
11. समस्त एन.बी.एस.यू. प्रभारी चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश